दिनांक हुक्म	कार्यवाही
11/2/23	पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत आलवाड़ में पेश हुई। तहसीलदार आ० पाटन के पत्रांक 159 दिनांक 1.2.23 से रिपोर्ट प्राप्त हुई जो श्रवण की गई। रिपोर्ट तह० आ० पाटन के अनुसार प्रश्नगत ग्राम के सम्बन्ध अधिग्रहण के बारे दिये गये आदेश अनुसार राजस्व रेकार्ड में सुधार कर अमल दरामद कर दिया गया है। पत्रावली के आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से पत्रा० फैसल शुमार होकर वास्ते तामील तकमील वापिस दफ्तर हो।

न्यायिक अधिकारी
राष्ट्रीय लोक अदालत, पाटन

सदस्य